


उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

उज्जैन शहर में साँची दूध विक्रय हेतु
01 वितरक नियुक्ति
हेतु आवेदन प्रपत्र
वर्ष 2021–24



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
मक्सी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन-456010
दूरभाष — 2527061,2527068,2527066

मोनो

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन-456010 (म.प्र.)
दूरभाष – 0734-2527068, फेक्स नं. 2527063

उज्जैन शहर में 01 साँची दूध वितरक नियुक्ति हेतु सूचना

उज्जैन, शहर में साँची दूध के सुव्यवस्थित वितरण एवं विक्रय के लिए एक वितरक नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता/फर्म/प्रतिष्ठान दिनांक 16/01/2021 से दिनांक 05/02/2021 दोपहर 12:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से एवं वेबसाईट <http://www.mpcdf.gov.in> से डाउनलोड कर आवेदन के मूल्य रूपये 500/- का डी.डी. “उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन” के नाम बनवाकर संलग्न करे। इच्छुक आवेदक रूपये 500/- के नगद भुगतान कर दुग्ध संघ कार्यालय से भी कार्यालयीन समय में आवेदन क्रय कर सकते हैं।

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन दिनांक 05/02/2021 को अपरान्ह 1:00 बजे तक उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सीरोड़ उज्जैन में जमा किये जा सकेंगे। प्रत्येक आवेदन के साथ ई.एम.डी. राशि रूपये 1,00,000=00 का बैंक ड्राफ्ट जो “उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, उज्जैन” के नाम देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना ई.एम.डी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन दिनांक 05/02/2021 को ही अपरान्ह 2:00 बजे उपस्थित आवेदक/प्रतिनिधि के समक्ष समिति द्वारा खोले जाएंगे। किसी भी अथवा समस्त आवेदन को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ उज्जैन को रहेगा, जो किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त रहेगा।

शेष विस्तृत जानकारी वेबसाईट <http://www.mpcdf.gov.in> पर उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित आवेदन प्रपत्र का कार्यक्रम प्रपत्रों की जानकारी

1	आवेदन प्रपत्र विक्रय आरंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 16/01/2021 प्रातः 11:00 बजे
2	कार्यालय/वेब साईट से आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 05/02/2021 दोपहर 12:00 बजे तक
3	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 05/02/2021 अपराह्न 01:00 बजे तक
4	आवेदन खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 05/02/2021 अपराह्न 2:00 बजे
5	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	ई.एम.डी राशि रु. 1,00,000=00 (एक लाख मात्र) का डी.डी. उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन पेयबल एट उज्जैन के नाम से देय हो।
6	आवेदन प्रपत्र का मूल्य	रुपये 500/- (पाँच सौ मात्र)
7	आवेदन खोलने का स्थान एवं पता	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सीरोड़ उज्जैन
8	साँची दूध वितरक हेतु तकनीकी अर्हताएं एवं सामान्य शर्तें का प्रारूप	प्रपत्र 01 एवं 02
9	आवेदन प्रपत्र	प्रपत्र – 03
10	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र – 04

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- प्रपत्र क्रमांक 01 “तकनीकी अर्हताएं” प्रपत्र क्रमांक 02 “सामान्य शर्त प्रपत्र क्रमांक 3 आवेदन पत्र एवं प्रपत्र क्र. 4 अनुबंध का प्रारूप एक साथ एक “बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर उज्जैन शहर हेतु “साँची दूध वितरक हेतु आवेदन” लिखा जावे साथ ही लिफाफे पर प्रेषक का नाम पता अंकित किया जावे।
- आवेदन में उल्लेखित शर्तों की अतिरिक्त आवेदनकर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- अपूर्ण दस्तावेज एवं बिना ई.एम.डी. राशि के प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।

परिशिष्ट “01”

(तकनीकी अहर्ताएं)

प्रपत्र 01

तकनीकी अहर्ताएं

क्रमांक	आवश्यक अहर्ताएं	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1.	आवेदनकर्ता का नाम व पता (संस्था / फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशीप डीड।
3	आवेदनकर्ता संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था /फर्म के संचालक मंडल/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र या आधार कार्ड की छायाप्रति।
4	आवेदनकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5	<ul style="list-style-type: none"> • सॉची दूध वितरण हेतु उपलब्ध स्वयं का चार पहिया (वाहन का प्रकार मॉडल –2017 या उसके बाद का) की संख्या। • नया वाहन खरीदने अथवा मॉडल – 2017 या उसके बाद का खरीदने या अनुबंधित वाहन लगाने की स्थिति में तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। 		<ul style="list-style-type: none"> • उपलब्ध वाहन के पंजीयन/अनुबंध की छायाप्रति लगावें। • नया वाहन खरीदने अथवा मॉडल – 2017 या उसके बाद का खरीदने या अनुबंधित वाहन लगाने की स्थिति में तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें।
6	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चैक लगावें।
7	वितरक/होल सेलर का FSSAI लायसेन्स होना अनिवार्य होगा।		FSSAI लायसेन्स की छायाप्रति संलग्न करें।
8	GST No. लेना अनिवार्य होगा।		GST की छायाप्रति संलग्न करें अथवा जीएसटी नम्बर लेने हेतु किये गये आवेदन की रसीद की छायाप्रति संलग्न करें।
9	वित्तीय दो वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में FMCG व्यवसाय का कुल मिलाकर रु. 10 करोड़ का टर्न ओवर होना अनिवार्य होगा।		सी.ए. द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10	गुमास्ता होना अनिवार्य होगा		छायाप्रति संलग्न करें।
11	ई.एम.डी. (राशि रु. 1,00,000/-)		मूल डी.डी. संलग्न करें।

12	आवेदन पत्र के मूल्य की एम.आर रसीद। (यदि आवेदन वेबसाईट से डाउनलोड किया गया है तो डी.डी.)		मूल एम.आर./डी.डी. संलग्न करें।
13	न्यूनतम 1 वर्ष का FMCG कार्य अनुभव होना अनिवार्य। इस आशय का रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ पत्र संलग्न करें।		मूल शपथ पत्र संलग्न करें।
14	आवेदनकर्ता एमपीसीडीएफ/अन्य दुग्ध संघ से टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है। (इस बाबत का शपथ पत्र)		शपथ पत्र संलग्न करें।
15	आवेदनकर्ता दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार नहीं है। (इस बाबत शपथ पत्र)		शपथ पत्र संलग्न करें।
16	आवेदनकर्ता के विरुद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकारण दर्ज नहीं है। (इस बाबत शपथ पत्र)		शपथ पत्र संलग्न करें।

नोट:-

- उक्त समस्त शपथ पत्र रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर संलग्न प्रारूप अनुसार पृथक—पृथक मूल रूप से नोटराईज्ड कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई हैं) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा आवेदन स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता की पूर्ण आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर सम्पूर्ण आवेदन प्रपत्र मूल रूप से जमा करना होगा।
- उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान/कार्य अवंटन के पश्चात/अनुबंध के पश्चात भविष्य में अनुबंधित अवधि में कभी भी असत्य पाये जाने पर साँची दूध वितरक एजेंसी को निरस्त कर उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा मेरी सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात की जा सकेगी जो मुझे मान्य है तथा ऐसा होने पर मेरे द्वारा कोई भी न्यायीक अथवा अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर

नाम—

पता—

मोबाइल नम्बर —

परिशिष्ट “02”

(सामान्य शर्तें)
प्रपत्र क्रमांक – 02

साँची दूध वितरक आवेदन हेतु आवश्यक शर्तें

1. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ रूपये 1,00,000/- (अक्षरी रु. एक लाख मात्र) डी.डी.आर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। आर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
3. वितरक को दुग्ध संघ में आवेदन स्वीकृति सूचना उपरांत प्रतिभूति/अमानत राशि RTGS/D.D. के माध्यम से नगद राशि रु. 30,00,000/- (अक्षरी तीस लाख रु.मात्र) तथा एफडीआर के रूप में 50 लाख रु. कुल राशि रु. 80 लाख रु. जमा करना होगी, जिस पर दुग्ध संघ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. आवेदनकर्ता के पास वित्तीय दो वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में FMCG व्यवसाय का कुल मिलाकर रु. 10 करोड़ का टर्न ओवर होना अनिवार्य होगा। इस हेतु सी.ए. द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगी।
5. आवेदनकर्ता के पास न्यूनतम 01 वर्ष का FMCG वस्तुओं का पूर्व वितरण/विक्रय अनुभव होना आवश्यक होगा। इस आशय का रु. 100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
6. वितरक के पास वितरक/होल सेलर का FSSAI लयसेन्स लेना अनिवार्य होगा। लायसेन्स की छायाप्रति संलग्न करें।
7. वितरक को GST No. लेना अनिवार्य होगा। इस हेतु GST की छायाप्रति संलग्न करें अथवा जीएसटी नम्बर लेने हेतु किये गये आवेदन की रसीद की छायाप्रति संलग्न करें।
8. दुग्ध संघ द्वारा वितरक को कार्य प्रारंभ करने पर विक्रय मात्रा को दृष्टिगत् रखते हुए 5000 क्रेटस की नगद धनराशि दुग्ध संघ में क्रेट लेखा मद में सुरक्षा निधी के रूप में जमा करानी होगी। विक्रय में वृद्धि होने पर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त राशि नगद दुग्ध संघ में क्रेट मद में जमा करनी होगी।

9. वितरक को दुग्ध संघ में आवेदन स्वीकृति सूचना उपरांत निम्नानुसार पैकेज दिया जावेगा।

वितरक पैकेज			
क्र.	वितरक पैकेज के प्रकार	मार्जिन	राशि रु. /पेसे
1	परिवहन रु. प्रतिलीटर	0.44	पैसे
2	लीकेज प्रतिपूर्ति रु. प्रतिलीटर	0.05	पैसे
3	स्टेशनरी/कार्यालय रखरखाव हेतु रु. प्रतिलीटर	0.05	पैसे
4	वितरक मार्जिन रु. प्रतिलीटर	0.36	पैसे
5	कुल रु.	0.90	पैसे

10. वितरक के द्वारा रिटेलर्स को साँची दूध की प्रदायगी उनके निर्धारित दुकान पर वितरक के स्वयं के वाहन से करनी होगी। दूध वितरण कार्य में आवश्यकतानुसार वाहनों की व्यवस्था भी वितरक को करनी होगी।
11. वितरक को चयन उपरांत साँची दूध वितरण हेतु स्वयं के अथवा अनुबंधित न्यूनतम 02 ई-रिक्षा की व्यवस्था भी करनी होगी, जो कि आवश्यकतानुसार बढ़ाये जा सकेंगे।
12. वितरक द्वारा वितरण हेतु लगाये जाने वाले वाहनों के आवश्यक दस्तावेज जैसे किराया अनुबंध/रजिस्ट्री/वाहन रजिस्ट्रेशन तथा वाहनों पर कार्यरत वाहन चालक/हेल्पर की जानकारी हेतु आधार कार्ड एवं ड्रायविंग लायसेन्स की छायाप्रति भी जमा करवाने होंगे।
13. वितरक को अपनी मांग प्रतिदिन दुग्ध संघ को डेयरी डॉक पर लिखित में देना होगी एवं वितरक को दुग्ध संघ द्वारा लागू कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में कार्य करना अनिवार्य होगा।
14. वितरक को चयन उपरांत अग्रिम राशि जमा करने पर ही साँची दूध वितरक के परिवहन व्यवस्था एवं व्यय से डेयरी संयंत्र उज्जैन से प्रदाय किया जावेगा।
15. आवेदन स्वीकृति उपरांत वितरक को दुग्ध संघ में स्वहस्ताक्षारित 25 पन्नों की ब्लैंक चेक बुक उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा।
16. वितरक को साँची दूध प्राप्त करते समय पैकेट की जॉच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने के पश्चात किसी भी प्रकार की लीकेज

मान्य नहीं होगा एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी वितरक की रहेगी। विशेष परिस्थितियों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की स्वीकृति उपरांत लीकेज़ वापस किये जा सकेंगे।

17. वितरक को दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों के अनुसार रूपये 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध संपादित कर नोटराईज्ड करना होगा। साथ ही वितरक को तीन वर्ष के लिए नियुक्ति किया जावेगा, तत्पश्चात् कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति, बाजार में व्यवसायिक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोष जनक होने पर इसमें प्रबंधन के निर्णय अनुसार एक-एक वर्ष कर दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।
18. दुग्ध संघ से सीधे दूध प्राप्त कर विक्रय करने वाले विक्रेताओं/उपभोक्ताओं को प्रदाय का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर समस्त उज्जैन शहर एवं शहर के बाहर भी वितरक से साँची दूध विक्रय कराया जा सकेगा।
19. दुग्ध संघ से क्रय की गई दूध की मात्रा की राशि RTGS के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम राशि जमा करवानी होगी। किसी भी परिस्थिति में वितरक को प्रतिभूति राशि के विरुद्ध दूध प्रदाय नहीं किया जावेगा।
20. वितरक को सम्पूर्ण उज्जैन शहर में ही निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय करना आवश्यक होगा। साथ ही कार्यक्षेत्र में आवश्यकतानुसार रिटेल एजेन्सी प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव दुग्ध संघ को प्रस्तुत करना होगा दुग्ध संघ के अनुमोदन उपरांत रिटेल एजेन्ट नियुक्त किये जाएंगे। उज्जैन कार्यक्षेत्र से बाहर कार्य करने की शिकायत प्राप्त होने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
21. दुग्ध संघ द्वारा वितरक को दुग्ध विक्रय हेतु विक्रय लक्ष्य दिये जाएंगे, जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा। वर्ष 2019–20 में उज्जैन शहर में लगभग औसतन 31560 लीटर प्रतिदिन दूध विक्रय हुआ है। इसको आधार मानकर वितरक को न्यूनतम 10 प्रतिशत की औसत वार्षिक विक्रय वृद्धि किया जाना होगा अन्यथा संक्षिप्त समीक्षा कर दुग्ध संघ हित में अनुबंध निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
22. नेटवर्क स्थापित करने हेतु वितरक को कम से कम 4 विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर उज्जैन शहर हेतु रखना होगा, जिनका कार्य उज्जैन शहर में प्रतिदिन निरीक्षण कर नवीन एजेन्सी प्रारंभ करना होगा।

23. वितरक को उज्जैन शहर की समस्त शासकीय संस्थानों से मांग प्राप्त कर दूध प्रदाय करना होगा। साथ ही शासकीय संस्थानों को समय पर देयक प्रेषित कर भुगतान दुग्ध के खाते में आरटीजीएस करवाना होगा।
24. वितरक साँची दूध के विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार स्वयं के व्यय पर भी प्रचार प्रसार करवायेगा।
25. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
26. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा गठित समिति के द्वारा की जावेगी एवं समिति अपनी अनुशंसा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
27. आवेदन स्वीकृति होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की आर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
28. प्राप्त आवेदनों में से जिन आवेदकों द्वारा तकनीकी अहताएं पूर्ण की गई है उन सभी आवेदकों मे से वितरक का चयन समिति सदस्यों एवं उपस्थित आवेदकों के समक्ष लॉट्री द्वारा किया जाएगा।
29. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्य कर रहे किसी भी सुपर स्टॉकिस्ट/वितरक/वितरक सह-परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता अथवा अन्य द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लिया जाता है तो कार्यादेश से पूर्व औपचारिकताएं पूर्ण करते समय वर्तमान अनुबंध से सर्बधित लेनदारी—देनदारी का पूर्ण हिसाब कर बकाया धनराशि एवं क्रेट दुग्ध संघ में जमा कराने होंगे। तत्पश्चात ही कार्यादेश दिया जावेगा तथा ऐसा नहीं करने पर आवेदक की दावेदारी निरस्त कर ई.एम.डी. राशि राजसात कर ली जावेगी।
30. दुग्ध संघ के साथ पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी ऐसे ठेकेदार जिनकी तरफ दुग्ध संघ की कोई भी बकाया राशि, क्रेट अथवा अन्य सामग्री लंबित है इस आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। यदि ऐसे पूर्व ठेकेदार इस आवेदन प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व समस्त बकाया राशि एवं क्रेट आदि दुग्ध संघ में जमा कर प्राप्त एनओसी को आवेदन प्रक्रिया में संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जावेगी तथा ई.एम.डी. राशि राजसात कर ली जावेगी।

31. वर्तमान में जिस व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध दुग्ध संघ का न्यायीक प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, ऐसे व्यक्ति/फर्म आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
32. दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, इस बाबत् आवेदनकर्ता को रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप संलग्न है)
33. आवेदक को आवेदन के साथ रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो। (प्रारूप संलग्न है)
34. ऐसे व्यक्ति/फर्म इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे जिनके विरुद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज हो। इस बाबत् निविदाकार को निविदा के साथ संलग्न प्रारूप में रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।(प्रारूप संलग्न है)

मेरे द्वारा साँची दूध वितरक हेतु आवेदन की समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली हैं तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 34 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ, तो मेरा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी (ईएमडी) राशि राजसात करने का प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

परिशिष्ट “03”

प्रपत्र क्रमांक – 03

उज्जैन, शहर में साँची दूध वितरक हेतु आवेदन प्रपत्र

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्व प्रमाणित)

1. आवेदनकर्ता का नाम —
2. पिता/पति का नाम —
3. स्थाई पता (प्रमाण सहित)
दूरभाष नं. /मोबाइल नं. —
4. E-mail id _____
5. शैक्षणिक योग्यता —
6. आवेदक/फर्म का नाम /यदि
फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप
फर्म की पूर्ण जानकारी
(दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है।
7. वर्तमान व्यवसाय —
8. वाहन की व्यवस्था (स्वयं का अथवा
अनुबंधित वाहन होना आवश्यक)
वाहन के पंजीयन/अनुबंध की
छायाप्रति या शपथ पत्र संलग्न करें।

9. लेखा—जोखा एवं बिलिंग कार्य —
 करने हेतु ऑफिस की व्यवस्था —
 वर्तमान पता
10. धरोहर/ई.एम.डी. राशि — रु.....
 डी.डी./एम.आर.नं —

दिनांक

प्रारूप 01 के साथ संलग्न है।

दिनांक

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर का नाम एवं पूर्ण पता

.....



अनुबंध प्रपत्र

यह अनुबंध आज दिनांक को लिखा गया जिसका प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अथवा इस पद पर आने वाले पदाधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन एवं द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती..... / प्रोप्रायटर मेसर्स...
..... है।

प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को उज्जैन शहर के लिए साँची दुग्ध का वितरक निम्नानुसार शर्तों पर नियुक्त करना स्वीकार किया है।

संलग्न परिशिष्ट “02” इस अनुबंध का एक भाग है, जिसे वितरक हेतु शर्ते कहा जावेगा, उक्त शर्तों में जहां – जहां दुग्ध संघ शब्द आवेगा, उसका अर्थ उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन से होगा एवं इसकी समस्त शर्ते दोनों पक्षों के लिए लागू रहेगी।

वितरक से तात्पर्य से होगा, जिसे आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है। यह ठेका प्रारंभ दिनांक से तीन वर्ष की अवधि हेतु अर्थात् दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।

1. वितरक को रूपये 0.90 (पैसा) वितरक पैकेज दिया जावेगा। जिसके अन्तर्गत दुग्ध संघ द्वारा परिवहन व्यय—0.44 पैसे प्रतिलीटर, स्टेशनरी एवं कार्यालय रखारखाव व्यय 0.05 पैसे प्रतिलीटर, लीकेज प्रतिपूर्ति व्यय—0.05 पैसे प्रतिलीटर, वितरक मार्जिन 0.36 पैसे प्रतिलीटर सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी मद में वितरक को कोई अतिरिक्त मार्जिन या व्यय अनुबंध अवधि में नहीं दिया जावेगा। दुग्ध संघ द्वारा समय—समय पर वितरक मार्जिन को संशोधित करने पर वितरक पर बंधनकारी होगा।
2. वितरक को साँची दूध रिटेलरों को साँची दूध की प्रदायगी उनके निर्धारित दुकान पर स्वयं के वाहन से करनी होगी। दूध वितरण कार्य में आवश्यकतानुसार वाहनों की व्यवस्था भी करनी होगी।
3. वितरक द्वारा वितरण हेतु लगाये जाने वाले वाहनों के आवश्यक दस्तावेज जैसे किराया अनुबंध/रजिस्ट्री/वाहन रजिस्ट्रेशन तथा वाहनों पर कार्यरत वाहन चालक/हेल्पर की जानकारी हेतु आधार कार्ड एवं ड्रायविंग लायसेन्स की छायाप्रति भी जमा करवाने होंगे। प्राप्त जानकारी के अतिरिक्त अन्य किसी वाहन/वाहन चालक का डेयरी संयंत्र में प्रवेश निषेध होगा। यदि अपरिहार्य कारणों से अन्य वाहन वितरण हेतु लगाया जाता है तो वाहन एवं वाहन चालक की सूचना 01 दिवस पूर्व दुग्ध संघ में देना होगी।
4. वितरक द्वारा डेयरी संयंत्र उज्जैन से शर्तों में वर्णित स्वयं के नाम से पंजीकृत/अनुबंधित वांछित क्षमता के इंसुलेटेड वाहन से आवश्यकतानुसार पैकेट दूध उठाया जाएगा एवं उज्जैन शहर के समस्त कॉलोनियों/मोहल्लों में स्थित साँची रिटेलर्स को निर्धारित समय एवं स्थान पर दूध वितरित किया जाएगा, तथा प्रतिदिन सुबह एवं शाम दोनों पालियों में अनिवार्य रूप से प्रदायगी करनी होगी।

5. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्यरत रिटेलर्स को/ऐसे क्षेत्र जहां दुग्ध संघ द्वारा दूध प्रदायगी की जा रही है में वितरक को अनिवार्य रूप से दूध प्रदाय करना होगा।
6. वितरक को शहर में एक कार्यालय खोलना होगा तथा इस कार्यालय में समस्त आवश्यक विपणन संबंधी अधोसंरचना स्थापित करना होगी।
7. वितरक को एक उपयुक्त व्यक्ति दोनों पारियों की समय पर मांग प्रस्तुत करने, समय पर क्रेट वापस जमा करने, क्रेटों का नियमित मिलान कराने एवं अपने समक्ष वितरण वाहन डिस्पेच करने के लिए नियमित डेयरी डॉक उज्जैन पर रखना होगा।
8. दुग्ध संघ द्वारा वितरक को दूध वितरण करने, हेतु समस्त रिटेलर्स से पृथक—पृथक मांग प्राप्त कर समेकित कर डेयरी संयंत्र उज्जैन में प्रस्तुत करना होगा तथा दुग्ध संघ द्वारा रिटेलरों या उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले मार्जिन, अग्रिम कार्ड छूट या अन्य प्रोत्साहन योजना को यथावत पास ऑन करना होगा।
9. वितरक को दुग्ध संघ में प्रतिभूति/अमानत राशि मद में RTGS/D.D. के माध्यम से नगद राशि रु. 30,00,000/- (अक्षरी तीस लाख रु.मात्र) तथा एफडीआर के रूप में 50 लाख रु. कुल राशि रु. 80 लाख रु. जमा करना होगी, जिस पर दुग्ध संघ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। भविष्य में दुग्ध विक्रय में वृद्धि होने पर अतिरिक्त प्रतिभूति राशि संघ में जमा करनी होगी।
10. वितरक को दैनिक रूप से दुग्ध विक्रय के विरुद्ध राशि संबंधित रिटेलर्स से स्वयं वसूल करना होगी।
11. वितरक को प्रतिदिन दुग्ध विक्रय राशि (सुबह शाम मिलाकर) का भुगतान आरटीजीएस (ई—पेमेन्ट) के माध्यम से अग्रिम जमा करना होगा। ई—पेमेन्ट के माध्यम से प्राप्त भुगतान की जानकारी वित्त शाखा द्वारा विपणन शाखा को उपलब्ध कराने पर दुग्ध प्रदाय किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति जैसे – इंटरनेट बैंकिंग के सर्वर डाउन होने, आदि की स्थिति में वितरककी संघ में रेखांकित (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश देगा। धनादेश देकर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। धनादेश बाउंस होने पर संघ के नियम अनुसार रूपये 1000/- प्रतिदिन अर्थदण्ड सहित संपूर्ण राशि संघ में जमा करनी होगी। राशि जमा न करने की स्थिति में दुग्ध संघ वितरकपर कानुनी कार्यवाही मय हर्जे—खर्चे के साथ करने हेतु स्वतंत्र होगा, तथा बाउंस धनादेश के तहत भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा। या उसके द्वारा रखी गई जमानत राशि / बैंक ग्यारंटी फिक्स डिपॉजिट/ग्यारंटर से अलग—अलग या मिलाकर वसूली करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा। अवकाश की स्थिति में अवकाश दिवसों की प्रदायगी की धनराशि भी अग्रिम रूप से जमा करनी होगी। यह भुगतान चेक/आरटीजीएस के माध्यम से संघ द्वारा प्राप्त किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में वितरकद्वारा संघ के सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर नगद राशि भी संघ में जमा की जा सकेगी। संघ द्वारा बताई गई बैंकों की

सूची में से किसी एक बैंक में वितरकको वित्तीय व्यवहार के लिए खाता खोलना अनिवार्य होगा। वितरकों से राशि वसूलने की कोई भी जिम्मेदारी दुग्ध संघ की नहीं होगी।

12. दुग्ध संघ द्वारा वितरक को कार्य प्रारंभ करने पर विक्रय मात्रा को दृष्टिगत् रखते हुए 5000 क्रेटस की नगद धनराशि दुग्ध संघ में क्रेट लेखा मद में सुरक्षा निधी के रूप में जमा करनी होगी। विक्रय में वृद्धि होने पर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त राशि नगद दुग्ध संघ में क्रेट मद में जमा करनी होगी।
13. वितरक द्वारा जितने क्रेट दुग्ध प्रदाय हेतु लिये जाएंगे उतने ही क्रेट दैनिक रूप से दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा तथा वितरकद्वारा अपने दस्तावेज लाकर क्रेटों का मिलान प्रत्येक 10 दिवस में दुग्ध संघ के रिकॉर्ड से किया जाएगा।
14. वितरक को शाम पाली की मांग दैनिक रूप से दिन के 11 बजे तक एवं अगले दिन की प्रातः पाली की मांग शाम की 3 बजे तक संघ को अवगत कराना होगी। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में यदि मांग में वृद्धि की जाना है तो वितरक कार्यालय से सहमति लेने के उपरांत ही मांग की पुष्टि कर सकेगा। दुग्ध संघ स्तर से पूरे प्रयास किये जाएंगे कि वितरक को मांग अनुसार दूध प्रदाय किया जा सके। किन्तु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि संघ द्वारा मांग अनुसार दूध प्रदाय संभव नहीं हो पाता है तो दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी।
15. वितरक को दुग्ध वितरण व्यवस्था स्वयं के नाम के पंजीकृत/अनुबंधित इंसुलेटेड वाहन से करना होगी जिससे की दूध गुणवत्ता में किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव परलक्षित न हो।
16. वितरक द्वारा स्वयं के व्यय पर वितरण वाहनों को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित डिजाईन से पेन्ट/विनाईल पेस्टिंग कराना आवश्यक होगा।
17. किसी भी वाहन के खराब होने पर, दुर्घटनाग्रस्त होने या अन्य कोई कमी होने के कारण वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था स्वयं वितरक को अपने स्तर से करना अनिवार्य होगा तथा ऐसी स्थिति में हुए सभी प्रकार के नुकसान वितरकद्वारा वहन किया जावेगा।
18. दुग्ध संघ स्तर से दूध की बिलिंग, वितरक पैकेज़ एवं फुटकर विक्रेता का मार्जिन काटकर ही की जावेगी एवं वितरक द्वारा रिटेलर/फुटकर विक्रेता को उनका मार्जिन कम कर ही राशि प्राप्त की जावेगी। इस प्रकार फुटकर विक्रेता को दैनिक रूप से उनके द्वारा विक्रय किये गये दूध का रिटेलर मार्जिन प्राप्त हो सकेगा।
19. दुग्ध संघ द्वारा संस्थाओं को सीधे प्रदाय किये गये दूध की मात्रा पर वितरक पैकेज दिया जाएगा। यदि दुग्ध संघ द्वारा प्रदायित मात्रा तथा संस्था को प्राप्त मात्रा में कोई भिन्नता/कमी होती है तो कम मात्रा की धनराशि वितरक से वसूल की जाएगी।

20. यदि वितरक द्वारा दिये गये चैक बैंक द्वारा किसी भी कारण से अनादरित कर बिना भुगतान के वापस किये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा तत्काल उसकी सूचना वितरक को मोबाईल/या दूरभाष पर ही दी जावेगी तथा वांछित राशि वितरक द्वारा तत्काल दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। साथ ही प्रत्येक अनादरित चेक के लिए राशि रूपये 1000/- अर्थदण्ड सहित दुग्ध संघ कर्यालय में आरटीजीएस के माध्यम से जमा कराना होगी।
21. वितरक द्वारा प्रदाय चेक केवल तकनीकी कारणों को छोड़कर माह में तीन या उससे अधिक बार अनादरित होते हैं तो संक्षिप्त समीक्षा कर वितरक कार्य आवंटन निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
22. किन्हीं भी कारणों से वितरक को कार्य छोड़ने हेतु एक माह पूर्व (30 दिवस) का नोटिस देना अनिवार्य होगा। नोटिस अवधि में संघ द्वारा पुनः आवेदन आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। किन्तु आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने तक दुग्ध संघ द्वारा निर्देशित करने पर वितरक को यथावत कार्य करना होगा। इसी प्रकार उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा वितरक को 30 दिवस का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताएं हटा दिया जा सकेगा।
23. वितरक के पास पेन कार्ड नम्बर, जीएसटी नम्बर एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार एफ.एस.एस.आई. लायसेंस एवं इस कार्य से संबंधित वर्तमान में लागू या भविष्य में शासन द्वारा लागू किये गये समस्त वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।
24. आवेदन की शर्तों/अनुबंधों में वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर वितरक को बिना कोई अग्रिम सूचना दिए संघ द्वारा हटाया जा सकेगा एवं यदि संघ उचित समझेगा तो वितरक की अमानत राशि राजसात की जायेगी।
25. वितरक की कार्यावधि प्रथमतः तीन वर्ष होगी एवं कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष कर दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
26. किसी भी दशा में यदि दुग्ध संघ द्वारा किसी रिटेलर की आपूर्ति बन्द कर दी जाती है तो वितरक का यह दायित्व होगा कि उस क्षेत्र के नियमित उपभोक्ताओं को दूध की आपूर्ति हेतु तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उसी क्षेत्र में करें। यदि वितरक द्वारा किसी भी पॉर्टर/एजेन्सी की प्रदायगी बन्द की जाती है तो प्रदायगी बन्द करने के पूर्व दुग्ध संघ को इसका कारण बताना होगा तथा दुग्ध संघ की बिना पूर्व अनुमति के प्रदायगी बन्द नहीं की जा सकेगी।
27. वितरक को प्रतिमाह रिटेलरवार प्रतिदिन की विक्रय होने वाले दूध की मात्रा का माह में औसत विक्रय रिपोर्ट विक्रय केन्द्रों से प्राप्त कर दुग्ध संघ के प्रत्येक माह की 10 तारिख तक प्रस्तुत करना होगा, जिस हेतु वितरक को वितरक पैकेज में स्टेशनरी एवं कार्यालय रखरखाव हेतु रु. 0.05 प्रतिलीटर दिया जाता है। जिसके आधार पर दुग्ध संघ की स्थानीय विक्रय रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
28. शहर में समय समय पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम, मेला प्रदर्शनी आदि आयोजनों में लगने वाले दूध की मांग यदि संघ को सीधे प्राप्त होती है तो संघ द्वारा निर्धारित विशेष रियायती दरों पर दूध प्रदाय वितरक एवं संबंधित रिटेलर के माध्यम से की जाएगी, संबंधित

- आयोजनकर्ता/संस्था से संघ द्वारा निर्धारित छूट देते हुए वितरक/रिटेलर को भुगतान प्राप्त करना होगा। अन्यथा संघ द्वारा बिलिंग/प्रदायगी सीधे करने पर वितरक एवं रिटेलर को ऐसी प्रदायगियों पर कोई मार्जिन भुगतान नहीं किया जावेगा।
29. वितरक दुग्ध संघ से निर्धारित वितरक पैकेज पर सॉची दूध एक्स डेयरी डॉक उज्जैन पर उसकी मांग अनुसार विक्रय हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गड़बड़ी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी से मटेरियल (दुग्ध व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धता, हड्डताल, भुकंप आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे सॉची दूध की उपलब्धता नहीं करा पाता है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का हर्जाना आदि नहीं दिया जाएगा।
30. कार्य आवंटन उपरांत अनुबंध अवधि में यदि वितरक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कार्य को आगे जारी रखने एवं समस्त दायित्वों को निर्वहन करने के लिए वितरक को विधि अनुसार उत्तराधिकारी नामित करना होगा। यदि वह उत्तराधिकारी दुग्ध संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। इसके लिए वितरक को उत्तराधिकारी करने हेतु सहमति देता है। इसके लिए वितरक को उत्तराधिकारी के फोटो एवं उनसे संम्बंध आदि सम्पूर्ण विवरण का नोटरी किया हुआ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
31. वितरक की संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि में वितरक द्वारा वाहन पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों में परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारण वितरक दुग्ध संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है तो इस हेतु दुग्ध संघ की अनुमति लेना आवश्यक है तथा वाहन के विक्रय/बदलने के लिए पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना वितरक का दायित्व होगा।
32. वितरक को दूध प्राप्त करते समय प्रत्येक टूटि से उसकी जांच परख सुनिश्चित करना होगा। प्रदाय होने के पश्चात लीकेज/कम मात्रा अथवा क्रेट की जवाबदारी वितरक की होगी।
33. दुग्ध संघ को किसी भी अन्य पार्टी/वितरक/रिटेलर/संस्था/होटल/केन्टीन शादी समारोह में सीधे भी दूध प्रदाय करने का अधिकार होगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि वितरक द्वारा दुग्ध संघ हित में कार्य नहीं किये जा रहे हैं तो दुग्ध संघ द्वारा सीधे रिटेलर्स को दूध प्रदाय करने का एकाधिकार सुरक्षित है। आवश्यकता पड़ने पर समस्त उज्जैन शहर एवं शहर के बाहर भी वितरक से सॉची दूध विक्रय कराया जा सकेगा।
34. वितरक का कार्य आवंटन अहस्तांतरणीय होगा। यदि कार्य अवधि में किसी भी समय यह पाया जाता है कि वितरक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/पार्टी अथवा संस्था आदि को हस्तांतरित किया है तो दुग्ध संघ द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल वितरक का कार्य आवंटन एवं अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।

35. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के संबंध में कोई विवाद खड़ा हुआ तो उसे मध्यस्थता (Arbitrator) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल के समक्ष रखा जाएगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
36. इस अनुबंध को न्यायिक कार्यक्षेत्र उज्जैन शहर का न्यायालय में रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक की आपसी रजामंदी के तहत दिनांक निष्पादित किया गया है।
37. वितरक द्वारा उज्जैन शहर में स्थित साँची दूध के समस्त रिटेलर्स को (जिनकी संख्या दुग्ध संघ अपनी आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकता है) साँची दूध, निर्धारित दर एवं समयावधि में उपलब्ध करना सुनिश्चित करेगा।
38. वितरक की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय नॉमिनेशन प्रदान किया जाना आवश्यक है।
39. दुग्ध संघ डेयरी डॉक उज्जैन से पैकड़ साँची दूध क्रेट में रखकर देगा। जिसे निर्धारित समय में वितरक को उठाना होगा। डेयरी डॉक से वितरकछांट कर अच्छी तरह से देखकर दूध का पैकेट प्राप्त करेंगे एक बार प्रदायगी पश्चात गुणवत्ता एवं लिकेज टूट-फूट आदि की जिम्मेदारी वितरक की होगी।
40. दुग्ध संघ द्वारा वितरक को दुग्ध विक्रय हेतु विक्रय लक्ष्य दिये जाएंगे, जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा। वर्ष 2019–20 में उज्जैन शहर में लगभग औसतन 31560 लीटर प्रतिदिन दूध विक्रय हुआ है। इसको आधार मानकर वितरक को न्यूनतम 10 प्रतिशत की औसत वार्षिक विक्रय वृद्धि किया जाना होगा अन्यथा संक्षिप्त समीक्षा कर दुग्ध संघ हित में अनुबंध निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
41. नेटवर्क स्थापित करने हेतु वितरक को कम से कम 4 विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर उज्जैन शहर हेतु रखना होगा, जिनका कार्य उज्जैन शहर में प्रतिदिन निरीक्षण कर नवीन एजेन्सी प्रारंभ करना होगा।
42. वितरक को उज्जैन शहर की समस्त शासकीय संस्थानों से मांग प्राप्त कर दूध प्रदाय करना होगा। साथ ही शासकीय संस्थानों को समय पर देयक प्रेषित कर भुगतान दुग्ध संघ के खाते में आरटीजीएस करवाना होगा। इस हेतु वितरक को सम्पूर्ण वितरक पैकेज प्रदाय किया जावेगा।
43. वितरक को वाहन चालक एवं लेबर के नाम व पता दुग्ध संघ को लिखित में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।

44. दुग्ध संघ द्वारा किसी भी वाहन चालक व दूध वाहन में कार्यरत लेबर को दुग्ध संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो उस वाहन चालक व लेबर को कोई भी अन्य वितरक अपने वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगायेगा। इस शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ, वितरक को कार्य आवंटन बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहेगा।
45. वितरक द्वारा दी गई मांग अनुसार दुग्ध संघ द्वारा प्रदायगी हेतु डी.एम./गेटपास बनाये जाएंगे। वितरक द्वारा डी.एम./गेटपास अनुसार ही दूध की मात्रा वाहन में लोड की जावेगी। निरीक्षण के दौरान कभी भी डी.एम./गेटपास में अंकित विवरण से अधिक मात्रा में दूध, क्रेट अथवा अन्य सामग्री पायी जाती है तो अधिक पाई गयी दूध, क्रेट अथवा अन्य सामग्री की उपभोक्ता दर से 100 गुना तक अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। इसकी बार-बार पुनरावृत्ति होने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
46. वितरक को दिन/रात्रि पारी में पृथक-पृथक अपने अधिकृत प्रतिनिधि डेयरी डॉक उज्जैन पर अपने स्वयं के व्यय से उपलब्ध रखने होंगे, जो वाहनों में अपने समक्ष दूध लोड करायेगे तथा समय पर मांग उपलब्ध कराने तथा क्रेट वापसी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
47. वितरक को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, जो कि उनके द्वारा सत्यापित होगा, जिससे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को डेयरी परिसर में प्रवेश के दौरान गले में लटकाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का व्यय वितरक द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जावेगी।
48. वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं रिटलर्स के बीच उठे विवादों को वितरक अपने उपस्थिति में शांति पूर्वक सुलझावेगा, ताकि विवाद न बढ़ने पाये एवं दूध वितरण कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न आने दें।
49. वितरक शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्णरूपेण जवाबदार होगा, तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय-समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्णरूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरुद्ध की जा सकेगी।
50. वितरक से जो भी बकाया राशि/अर्थदण्ड की राशि वसूली किया जाना आवेदन प्रपत्र/अनुबंध की शर्तों में प्रस्तावित/प्रावधानित है की वसूली वितरक से धनादेश के माध्यम से अथवा उनके द्वारा रखी जमानत राशि से की जाएगी।
51. वितरक को साँची दूध प्राप्त करते समय पैकेट की जाँच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने के पश्चात किसी भी प्रकार की लीकेज मान्य नहीं होगा। लीकेज प्रतिपूर्ति हेतु वितरक को वितरक पैकेज में लीकेज प्रतिपूर्ति व्यय रु. 0.05 प्रतिलीटर दिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की स्वीकृति उपरांत लीकेज वापस किये जा सकेंगे।

52. आवश्यकता पड़ने पर उज्जैन शहर में दुग्ध उत्पाद का परिवहन/वितरण वितरक के द्वारा दुग्ध वाहन के माध्यम से किया जा सकेगा, जिसके लिए वितरक को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
53. वितरक प्रतिमाह समस्त रिटेलरों को 10 तारिख तक उनके द्वारा विक्रय की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा—जोखा उपलब्ध करवायेगा तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य से उपलब्ध कराएगा।
54. अनुबंधित अवधि में वर्तमान में निर्धारित मार्गों के दुग्ध विक्रय के संबंध में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिया के अन्तर्गत वितरक के मार्गों के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा तथा रिटेलर्स की संख्या बढ़ाने पर सभी रिटेलर्स को प्रदाय करना होगा।
55. वितरक को शासन द्वारा जारी फूड लायसेंस लेना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति संघ कर्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। वितरक को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आवंटित मार्ग पर स्थित सभी रिटेलर्स से भी फूड लायसेन्स की कॉपी लेना होगी। अगर किसी रिटेलर्स के पास फूड लायसेन्स न हो तो उसे दूध की प्रदायगी नहीं की जावेगी।
56. आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन की समस्त शर्तें एवं दुग्ध संघ द्वारा समय—समय पर जारी पत्र/परिपत्र भी इस अनुबंध का भाग माने जाकर वितरक पर बंधनकारी होंगे।
57. डेयरी परिसर में अंदर वितरक के अधिन कार्यरत वाहन चालक द्वारा धुम्रपान, तम्बाकु, शराब आदि का सेवन एवं ऊंची आवाज में गाना बजाना आदि नहीं किया जावेगा, साथ ही वाहन चालक द्वारा डेयरी परिसर में वाहन की रफ्तार अधिकतम 20 कि.मी. प्रतिघंटा रखी जावेगी।
58. वितरक अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही वितरकको करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
59. उपरोक्त शर्तों के पालन में तथा संघ द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाओं का द्वितीय पक्षकार द्वारा पालन करना होगा अन्यथा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को रहेगा।
60. वितरक द्वारा डीजल दरों, श्रमिक व्यय, लीकेज व्यय, स्टेशनरी व्यय, इन्वेस्टमेन्ट, विक्रय मात्राओं आदि समस्त व्ययों को दृष्टिगत् रखते हुए ही आवेदन की दरें (वितरक पैकेज) स्वीकार की गयी है। अनुबंध अवधि में किसी भी व्यय में वृद्धि होने पर वितरक को कोई

अतिरिक्त लाभ (आवेदन की शर्तों में वितरक पैकेज़ का बिन्दु क्रमांक 04 में उल्लेखित स्वीकृत वितरक मार्जिन को छोड़कर) दुग्ध संघ द्वारा देय नहीं होगा।

61. टंकण त्रुटि के कारण अनुबंध की शर्तों की अस्पष्टता अर्थात् शर्तों को स्पष्ट करने, शर्तों को हटाने एवं जोड़ने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय का होगा।
62. यह कि जिले में श्री/मेसर्स साँची दूध वितरक के रूप मेंपैसे प्रतिलिटर (समस्त कर, एवं व्यय सहित) पर कार्य करेंगे।

मैं पिता/पति/पत्नि वितरकउज्जैन
शहर अपना उत्तराधिकारी, (नामिनी), श्री/श्रीमती को घोषित
करता हूँ।

यह अनुबंध पत्र उभय पक्ष ने स्वेच्छा से दिनांक को हस्ताक्षर कर निष्पादित किया है। अनुबंध अवधि की समाप्ति तक प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार द्वितीय पक्ष द्वारा संतोषप्रद कार्य करने पर “नोड्यूज” प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा सभी प्रकार के देयकों की वसूली उपरांत प्रथम पक्ष द्वारा अमानत राशि/बैंक ग्यारंटी वापस की जा सकेगी। अनुबंध की किसी भी कंडिका का द्वितीय पक्ष द्वारा पालन न करने पर प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध समाप्त कर अमानत राशि आदि राजसात करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। उभय पक्ष ने यह अनुबंध पत्र की समस्त शर्तें एवं परिशिष्ट भली प्रकार अध्ययन करके स्वेच्छा से संपादित किया है, जो प्रमाण रहें एवं समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ
मर्या. मक्सी रोड, उज्जैन –
456010

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
साँची दूध वितरक

नाम.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :
पता:

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :
पता:

दुर्घ संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का
शपथ पत्र का प्रारूप
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम
पिता
आयु
निवासी

उज्जैन दुर्घ संघ द्वारा उज्जैन शहर में सॉची दूध वितरक की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। मेरे द्वारा उज्जैन शहर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं उज्जैन दुर्घ संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुर्घ संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

वाहन उपलब्ध करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम	—
पिता	—
आयु	—
निवासी	—

1— उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा उज्जैन शहर में साँची दूध वितरक कार्य हेतु आवेदन किया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि यदि उक्त आवेदन स्वीकृत होता है तो मैं आवेदन पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार नवीन/वर्ष 2017 या उसके बाद का दूध की मांग अनुसार वांछित क्षमता का इन्सुलेटेड वाहन सूचना प्राप्ति के एक माह के अन्दर लगाने हेतु वचनबद्ध हूं अन्यथा मेरा ओवदन अस्वीकार किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मिनेट नहीं होने संबंधी
शपथ पत्र का प्रारूप।
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उज्जैन शहर में सॉची दूध वितरक की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। मेरे द्वारा उज्जैन शहर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हो।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने संबंधी
शपथ पत्र का प्रारूप।
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— उज्जैन दुर्घ संघ द्वारा उज्जैन शहर में साँची दूध वितरक की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। मेरे द्वारा उज्जैन शहर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता / करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता